न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 99 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. निजरों पत्नी राणाराम
2. राणाराम पुत्र रतनाराम
3. भीखों पत्नी मोतीराम
4. खुशालाराम पुत्र मोतीराम(फौत)
5. रामूराम पुत्र मोतीराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता अपीलांट संख्या 03 श्रीमती भीखों पत्नी मोतीराम
6. मोतीराम पुत्र कुंभाराम
7. बगताराम पुत्र कुंभाराम
8. पुरखाराम पुत्र केसुराम जाति जाट निवासी रातड़िया तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.टीपू पुत्री कानाराम पत्नी गेनाराम जाति जाट निवासी बागथल(रातड़िया) हाल निवासी जेताणा तहसील लोहावट जिला जोधपुर।
2.सवाईराम पुत्र देदाराम
3.मधाराम पुत्र कुंभाराम
4.पेमाराम पुत्र कुंभाराम
5.चुनाराम पुत्र मोतीराम कायम मुकाम
5/1हरलाल पुत्र चूनाराम
5/2धीराराम पुत्र चूनाराम
5/3पदमाराम पुत्र चूनाराम
5/4चौथाराम पुत्र चूनाराम
5/5रूपोदेवी पत्नी चूनाराम जाति जाट निवासी बागथल(रातड़िया) तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर।
6.भीखों पुत्री पेमाराम
7.रूपो पत्नी खेताराम
8.धर्माराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी मूलासर (रातड़िया) तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर।
9.बागसिंह पुत्र पूनमसिंह जाति जाट निवासी खींवसर तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर
10.माधाराम पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी रातड़िया तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर।
11.खेमाराम पुत्र पीराराम
12.लाली पुत्री पीराराम जाति जाट निवासी बूलसिंह की ढाणी तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर।
13.सायरों पुत्री चूनाराम जाति जाट निवासी इन्द्रा नगर(रातड़िया) तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर।
14.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भणियाणा।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 136/2012 बअनवान निजरों वगै. बनाम टीपू वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.11.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सोहनलाल चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 25.09.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण संख्या 01 से 13 का संयुक्त खातेदारी का खेत मोजा मूलसर पटवार मण्डल रातड़िया का खेत खसरा संख्या 122 रकबा 205.06 बीघा वाला आया हुआ है। इस संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवाड़ा करने हेतु अपीलांटगण/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2016 को प्रारम्भिक डिक्री पारित कर उसकी पालना में तहसीलदार भणियाणा से सभी सह खातेदारो की उपस्थिति में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के प्रावधान के मध्यनजर नोटिस देकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया गया। लेकिन तहसीलदार भणियाणा स्वयं मौके पर नहीं आकर अपने पत्रांक16/193 दिनांक 28.01.2016 की पालना में दिनांक 20.02.2016 को हल्का पटवारी ने मोके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव बनया जो विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के तहत न बना कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई है जबकि विभाजन के मामले में तहसीलदार स्वयं ही विभाजन प्रस्ताव बना सकते है। की पालना नहीं करने से विभाजन प्रस्ताव प्रारम्भ से ही अवैधानिक व शून्य है। विभाजन प्रस्ताव के लिए वादी को नोटिस नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार भणियाणा स्वयं मौके पर नहीं गया। विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया इसके बावजूद भी दिनांक 25.11.2016 को अंतिम डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं हुई। अपीलाधीन निर्णय की पालना में रेस्पोडेंट ने तहसीलदार भणियाणा को एक आवेदन प्रस्तुत कर नामान्तकरण खोलने बाबत प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार भणियाणा ने आदेश क्रमाक राजस्व/2260/दिनांक 26.12.2016 की पालना में नामान्तकरण संख्या 86 खोला गया। इस नामातकरण को दिनांक 11.02.2016 को पारित कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये की हाल ही में दिनांक 09.06.2017 को हुआ। जिस पर उक्त अंतिम निर्णय व डिक्री की नकल मांगी जो नकल दिनांक 12.06.2017 को प्राप्त होने पर तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त राजस्थान टिन्नेसी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व बंटवारा प्रस्ताव पर केवल प्रतिहस्ताक्षकर किये गये है। जबकि तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट/वादी को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर उजर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

एतराज पेश करने का अवसर नहीं दिया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 136/2012 बअनवान निजरों वगै. बनाम टीपू वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.11.2016 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस पुनः निर्णय पारित करे।

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner